

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>66/2021</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम अर्जुनलाल (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 04.05.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त अर्जुनलाल अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री योगेश पाराशर के सहयोगी अधिवक्ता श्री हर्ष त्रिवेदी उपस्थित। अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा हेतु अवसर चाहा गया। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस है। टारगेट प्रकरणों के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। न्यायहित में साक्ष्य प्रतिरक्षा हेतु अवसर इस शर्त पर दिया जाता है कि आगामी पेशी पर साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करने पर अवसर देय नहीं होगा एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर स्वतः बंद समझा जाएगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिरक्षा दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।	